न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद पत्र संख्या : **68/1997**
GCMS No. : **1997/00002**

–:: प्रार्थीगण/वादीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ::–
1. माधवलाल के कायम मुकाम 1/1. दाखुदेवी पत्नी माधवलाल 1/2. उदयराज पुत्र माधवलाल 1/3. खेमचन्द पुत्र माधवलाल 1/4. अमरसिंह पुत्र माधवलाल 1/5. विद्या देवी पुत्र माधवलाल जातियान– सुथार, निवासी– निमाज, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।		मूलाराम के कायम मुकाम 1. सुगनाई पत्नी मूलाराम 2. जोगाराम पुत्र मूलाराम 3. अमरा पुत्र मूलाराम 4. सेणकी पुत्री मूलाराम 5. सुखड़ी पुत्री मूलाराम 6. ढगलाई पुत्री मूलाराम 7. माडकी पुत्री मूलाराम 8. शांति पुत्री मूलाराम जातियान– कुमावत, निवासी– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला पाली। 9. बालू पुत्र गोपू 10. चौला पुत्र गोपू 11. भंवरू पुत्र शिवदान मंगला के कायम मुकाम 12. केलकी बेवा मंगला 13. लूणाराम पुत्र मंगला 14. सुन्दरी पुत्री मंगला 15. परमाई पुत्री मंगला 16. गंगली पुत्री मंगला 17. पुखा पुत्र शिवदान 18. कुना वल्द शिवदान 19. गुदड़ वल्द हीरा जातियान– कुमावत, निवासीगण– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला पाली। 20. मोती वल्द रावत 21. जगदीश वल्द रावत जातियान– सुथार, निवासीगण– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला पाली राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 दिनांक 08.10.2014 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 व 04 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया [illegible] मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 दिनांक [illegible].12.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:25 IST
Reason: Self Attested

[illegible] दर्ज:.06/06/1997

उपस्थितः–

1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: निर्णयः– **दिनॉकः 18/08/2021**

वकील मय प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय प्रार्थनापत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 दिनांक 08.10.2014 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण द्वारा मृतक मूला, बालू, चौला व मंगला के फौत होनें बाबत् निगरानी संख्या 3928/99 में कायम मुकाम पेश हो चुके है तथा सेवन से वादी द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र वादपत्र में पेश करना रह गया था। जो प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है तथा प्रतिवादी भंवरू व प्रतिवादी पुखा फौत हो चुके है उनके भी कायम मुकाम के प्रार्थनापत्र पेश कर दिये है। मृतक प्रतिवादी के फौत के होनें की जानकारी 08.10.2014 को ही तारीख पेशी पर हुई है जो प्रतिवादी भंवरू व पुखा बाबत् है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 04 सी पी सी का अन्दर मियाद में पेश किया गया है एवं जो देरी प्रार्थनापत्र. प्रस्तुत करनें में हुई उसे न्यायहित में धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत कन्डोन की जावें। प्रार्थी/वादीगण को म्याद अधिनियम की कोई जानकारी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जो देरी हुई है। उसे कन्डोन फरमावें इस हेतु शपथपत्र साथ पेश है।। अतः वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र म्याद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत पेश कर अर्ज किया है कि मृतक प्रतिवादी भंवरू व पुखा के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेनें के लिये प्रार्थनापत्र पेश करनें में देरी हुई है उसे न्यायहित में कण्डोन फरमावें तथा मृतक प्रतिवादीगण भंवरू के कायम मुकाम क्रमशः सिणगारी पत्नी, मैना, राधा, नौरती पुत्रीयां, रतन व राजू पुत्र व पुखा के कायम मुकाम क्रमशः मथुराई पत्नी, धर्मा तथा कालू पुत्र को रेकर्ड पर लिया जावें साथ ही निगरानी संख्या 3928/99 में बतौर कायम मुकाम दर्ज प्रतिवादीगण मूला, बालू, चौला व मंगला के हस्तगत वादपत्र में भी रेकर्ड पर लिया जावें तथा गुदड़ एवं उसकी पत्नी के लावारिसान फौत होनें से इनका नाम वादपत्र. से विलोपित किया जावें।

वकील मय प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 व 04 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय प्रार्थनापत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 दिनांक 03.12.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी संख्या 03 खेमचन्द व उनकी धर्म पत्नी इन्द्रा जांगीड़ का देहान्त हो गया। वादी संख्या 03 का देहान्त एक दुर्घटना में हो गया था, उसके पश्चात् उनकी धर्म पत्नी अपने नाबालिग बच्चों को लेकर अपने पीहर अजमेर चली गई थी तथा [illegible] खराब हो गया था तथा वह अक्सर बीमार रहनें लग गई थी [illegible] हालत में अपना ईलाज भी नहीं करा सकी तथा [illegible] गया। उपरोक्त स्थिति हो जानें से पूरा परिवार [illegible] अब वादी संख्या 03 खेमचन्द के तीनों ही वारिसान नाबालिग है जो क्रमशः [illegible]सिद्धार्थ, देवेश पुत्र व मनश्वी पुत्री है, जो भी अजमेर अपने ननिहाल में रहते है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पेश करनें में जो देरी हुई है उसे न्यायहित में दफा 05 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन फरमावें। प्रार्थना पत्र नाबालिग की ओर से उनके चाचा अमरसिंह द्वारा पेश किया जा रहा है। उपरोक्त कारणों से न ही न्यायालय के समक्ष पेश हुए तथा न ही अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर सके थे तथा पहलें पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित थी। प्रतिवादीगण जो फौत हो गए थे उनके वारिसान को राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित निगरानी में बतौर कायम मुकाम रेकर्ड पर ले गया था इसी कारण से श्रीमान् के न्यायालय में उनके वारिसान को रेकर्ड ले हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं कर सके थे तथा धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इसी वजह से श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करनें में देरी हुई है उसे न्यायहित में कण्डोन फरमावें। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र वादी संख्या 04 अमरसिंह की और से अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत पेश कर अर्ज है कि जो देरी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 व 04 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश करनें में देरी हुई है उसे कण्डोन फरमावें तथा मृतक वादी खेमचन्द के वारिसान को रेकर्ड पर लिया जावें, साथ ही जो प्रतिवादीगण फौत हो चुके है तथा जिनके वारिसान राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित निगरानी में बतौर कायम मुकाम रेकर्ड पर लिया जा चुका है, उन्हें न्यायहित में वादपत्र में भी रेकर्ड पर लिया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उपर्युक्त दोनों प्रार्थना पत्रों का जवाब पेश नहीं करना चाहने से जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्ष की दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण/प्रार्थीगण ने दौरान-ए-बहस प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों को दुहराते हुये कथन किया कि प्रतिवादीगण जो फौत हो गये थे के वारिसान को राजस्व मण्डल अजेमर की लम्बित निगरानी में बतौर कायम मुकाम रेकर्ड पर ले लिया गया था तथा प्रतिवादी भंवरू एवं प्रतिवादी पुजा के कायम मुकाम पेश है तथा प्रतिवादी गुदड़ एवं उनकी पत्नी फौत हो चुके है जिनके वारिसान नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर प्रस्तुत निगरानी की प्रमाणित प्रति पेश है। इसी प्रकार वादी खेमचन्द के फौत होनें पर पत्नी बच्चों सहित पीहर चली गयी थी, अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें में विलम्ब हुआ प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णयन् न्यायहित में आवश्यक है। अतः विलम्ब काल माफ किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक निर्णय बतौर नजीर प्रस्तुत किये-

1. C.C.C. 2005 (1) S.C. P- 627
2. A.I.R 1985 S.C. P- 606
3- A..I.R. 1983 S.C. P- 385
4. R.R.D. 2010 P- 50
5. R.R.D. 1995 P- 547
6. R.R.D. 1992 P- 96
7. R.R.D. 1988 P- 207

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

8. *D.N.J. 2018 S.C. P- 456*
9. *A.C.J. 1937(1) S.C. P- 245*
10. *R.R.D. 2005 P- 206*
11. *R.R.D. 1998 P- 113*
12. *C.C.C. 2008(3) P- 766 Raj.*
13. *R.R.D. 2004 P- 156*
14. *D.N.J. 2018(4) Raj. P-1336*
15. *R.R.D. 1991. P- 302*

हमनें माननीय न्यायालयों के उपर्युक्त निर्णयों का ससम्मान अध्ययन अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक निर्णयन् में मार्गदर्शन प्राप्त किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने दौरान-ए-बहस प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये यह कथन किया है कि वादी संख्या 03 खेमचन्द पुत्र माधवलाल के फौत होने के उपरांत वादीगण/अधिवक्ता वादीगण द्वारा समय सीमा के भीतर मृतक वादी के कायम मुकाम रेकर्ड पर लेनें हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा वादी संख्या 03 खेमचन्द पुत्र माधवलाल के फौत होनें की सूचना दिनांक 24.10.2017 को न्यायालय हाजा को दे दी थी, जो आदेशिका के अंकन से स्पष्ट है। इसके बावजूद वादीगण/अधिवक्ता वादीगण दिनांक 03.12.2020 तक इस बाबत् कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया। जो कि वादीगण की लापरवाही एवं घोर उपेक्षा का परिचायक है। इसी प्रकार न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 13.10.1998 के विरूद्ध प्रतिवादीगण मोती वल्द रावत एवं जगदीश वल्द रावत द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी दायर कि थी, जिसके शीर्षक में केवल मृतक वादी माधवलाल, प्रतिवादी मूला, एवं प्रतिवादी मंगला के वारिसान को बतौर कायम मुकाम अंकित है जो कि पूर्व से ही न्यायालय हाजा में लम्बित हस्तगत वाद के संशोधित शीर्षक में शामिल है, लेकिन मृतक बालू पुत्र गोपू, चौला पुत्र गोपू, भंवरू पुत्र शिवदान, पुखा पुत्र शिवदान, गुदड़ पुत्र हीरा, जो कि फौत हो चुके है, के कायम मुकाम बाबत् वादीगण द्वारा कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार वादीगण का यह कथन गलत है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी के दौरान मृतक प्रतिवादीगण के कायम मुकाम को रेकर्ड पर ले लिया गया हो, अतः प्रार्थीगण द्वारा विलम्ब काल के लिये यथोचित एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही सम्यक् तत्परता का परिचय दिया है, अतः विलम्ब काल माफ नहीं किया जाकर, वादीगण का वादपत्र कानूनन अबेट हो चुका है। अतः वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:25 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र, प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र एवं संगत विधिक प्रावधानों एवं उपलब्ध दस्तावेजात् के अध्ययन अवलोकन से हम हस्तगत प्रकरण में दिनांक 08.10.2014 व दिनांक 03.12.2020 को प्रस्तुत दोनों प्रार्थनापत्रों

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

के सम्बन्ध में सर्वप्रथम धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 के बिन्दु को विवेचित एवं निर्णित करना आवश्यक समझते हैं, जो निम्नानुसार है :-

1. हस्तगत प्रकरण की आदेशिक एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिवक्ता वादीगण द्वारा दिनांक 08.10.2014 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 व धारा 151 सीपीसी मय धारा 05 म्याद अधिनियम 1963 प्रस्तुत किया। जिसमें कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण मूला, बालू, चौला व मंगला फौत हो चुके है। जिनके कायम मुकाम निगरानी संख्या 3928/99 में रेकर्ड पर आ चुके है परन्तु दावा में सहवन से प्रतिवादीगण के कायम मुकाम बाबत् प्रार्थनापत्र पेश नही हो पाया, जो आज पेश है। अतः इन्हें हस्तगत वादपत्र में रेकर्ड पर लिया जावें। इसी प्रकार प्रतिवादी भंवरू व पुखा फौत हो चुके है जिनकी जानकारी आज दिनांक 08.10.2014 को पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से हुई। प्रार्थीगण/वादीगण को म्याद अधिनियम की कोई जानकारी नही है। ऐसी स्थिति में विलम्ब काल को कण्डोन फरमावें तथा कायम मुकाम रेकर्ड पर लिया जावें।

2. हस्तगत प्रकरण की आदेशिका दिनांक 24.10.2017 के अंकन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिवक्ता प्रतिवादीगण के द्वारा न्यायालय हाजा को यह अवगत करवाया गया कि वादी संख्या 03 जो कि मृतक खेमचन्द पुत्र माधवलाल है, फौत हो चुका है, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा अधिवक्ता वादी को मृतक वादी खेमचन्द पुत्र माधवलाल के कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें के लिये निर्देशित किया गया।

3. अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 03.12.2020 को मृतक वादी संख्या 03 खेमचन्द पुत्र माधवलाल के कायम मुकाम रेकर्ड पर लेनें बाबत् प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं हस्तगत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 प्रस्तुत किया।

4. प्रार्थीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि वादी संख्या 03 खेमचन्द का दिनांक 20.07.2017 को देहान्त हो गया तथा खेमचन्द की पत्नी इन्दा जांगीड़ का दिनांक 11.06.2018 को देहान्त हो गया। पति के देहान्त के उपरांत पत्नी बच्चों को लेकर पीहर अजमेर चली गई। जिस कारण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें में विलम्ब हुआ अतः विलम्ब काल को न्यायहित में अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम 1963 में माफ फरमावें। इसी प्रकार प्रतिवादीगण जो फौत हो गये थे उनके वारिसान को राजस्व मण्डल अ[illegible]म्बित निगरानी में बतौर कायम मुकाम रेकर्ड प[illegible] न्यायालय हाजा में प्रार्थनापत्र पेश करनें में विलम्ब हुआ। अतः [illegible] काल को माफ फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:25 IST
Reason: SelfAttested

5. परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसुची के भाग एक- विनिर्दिष्ट मामलों में आवेदन में किसी मृतक वादी एवं अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन पक्षकार बनाने के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें की परिसीमा यथास्थिति वादी,

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन विहित की गई है। इसी अधिनियम धारा 05 के अन्तर्गत यदि आवेदक/प्रार्थी विलम्ब काल के लिये पर्याप्त हेतुक प्रस्तुत करते हुये न्यायालय का समाधान कर देता है तो ऐसी कतिपय दशा में विलम्ब काल को माफ करते हुये विहित काल के पश्चात भी आवेदन ग्रहण किये जा सकते है।

6. हस्तगत वादपत्र की आदेशिक, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की निर्णित निगरानी संख्या 3928/99 की प्रमाणित प्रति एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि हस्तगत वाद में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 13.10.1998 के विरूद्ध प्रतिवादीगण मोति व जगदीश वल्द रावत द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 3928/99 प्रस्तुत की जिसमें वादी माधवलाल, प्रतिवादी मूला व मंगला के कायम मुकाम निगरानी के शीर्षक में संयोजित है। प्रथम तो उक्त निगरानी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई थी न कि वादीगण की ओर से दोयम उक्त निगरानी में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की ओर से कायम मुकाम बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया गया तथा न ही वादीगण की ओर से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी के विचाराधीन रहते मृतक पक्षकारान के कायम मुकामान् को रेकर्ड पर लेनें हेतु कोई प्रार्थनापत्र पेश किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत निगरानी में मृतक बालू व चौला के कायम मुकाम को पेश नहीं किया गया तथा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत निगरानी की प्रमाणित प्रति से भी यह स्पष्ट है कि उक्त निगरानी में अप्रार्थी संख्या 03 बालू पुत्र गोपू(प्रतिवादी संख्या 09) तथा अप्रार्थी संख्या 04 चौला पुत्र गोपू(प्रतिवादी संख्या 10) के रूप में संयोजित है। अतः प्रार्थीगण/वादीगण का यह कथन कि मृतक मूला, बालू, चौला व मंगला के कायमान् को निगरानी के विचाराण के दौरान माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रेकर्ड पर लिया जा चुका है, निहायत ही झूठा एवं आधारहीन कथन है, क्योंकि अधिवक्ता वादीगण द्वारा निगरानी की प्रमाणित प्रति से यह साबित नहीं होता है, साथ ही वादी के दावें व कथनों में आत्म विरोधास का परिचायक है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा मृतक बालू एवं चौला के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने हेतु आज दिनांक का कोई प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में(न्यायालय हाजा, एवं अपीलिय) कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वादीगण द्वारा उक्त दोनों प्रतिवादीगण के फौत होनें का कथन स्वयं इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 08.10.2014 में किया गया है।

8. प्रार्थीगण वादीगण द्वारा मृतक प्रति[illegible] के फौत की जानकारी दिनांक 08.10.2014 को तारीख पर पत्रावली के अवलोकन से होना अंकित किया है जबकि आदेशिका के अवलोकन से इसकी पुष्टि नहीं होती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में उक्त दोनों प्रतिवादीगण की मृत्य दिनांक का अंकन नहीं किया गया है। अतः ऐसी दशा में प्रार्थीगण का यह कथन स्वीकार एवं विश्वास योग्य नहीं है कि उसके द्वारा उक्त मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिवादीगण के कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र अन्दर म्याद प्रस्तुत किया गया हो।

9. अधिवक्ता वादीगण का यह कथन कि वादी संख्या 03 खेमचन्द का देहान्त दिनांक 20.07.2017 को होनें के पश्चात् खेमचन्द की पत्नी इन्द्रा जांगिड़ अजमेर चले जानें व मानसिक संतुलन व अक्सर बीमार होनें के कारण यथा समय कायम मुकाम प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें में विलम्ब हुआ, विश्वास एवं स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि प्रथम तो हस्तगत वादपत्र में मृतक वादी खेमचन्द एकमात्र वादी नहीं था इसके अलावा चार अन्य वादीगण भी संयोजित है जो मृतक खेमचन्द के भाई बहन एवं माता हैं। जिनकों मृतक खेमचन्द की मृत्यु का संज्ञान नहीं होनें का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता तथा यह उल्लेखनीय है कि आदेशिका दिनांक 24.10.2017 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादी संख्या 03 खेमचन्द के फौत होनें की सूचना अपने हस्ताक्षरों सहित न्यायालय व अधिवक्ता वादीगण को दी गई थी। उसके बावजूद अधिवक्ता वादीगण द्वारा इस बाबत् दिनांक 03.12.2020 लगभग 03 वर्ष विलम्ब से कायम मुकाम प्रार्थनापत्र पेश किया जिसके विलम्ब का कोई तर्क संगत एवं विश्वास योग्य कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त विलम्ब काल को माफ किया जाना कतई विधि संगत एवं उचित नहीं होगा।

10. वादी संख्या 03 खेमचन्द फौत होनें पर अधिवक्ता प्रतिवादी न्यायालय हाजा को 24.10.2017 को सूचना दिये जानें पर न्यायालय हाजा द्वारा अधिवक्ता वादी को मृतक वादी खेमचन्द के कायम मुकाम बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद अधिवक्ता वादीगण द्वारा तीन वर्ष तक उक्त निर्देश की जानबूझ कर तकमील नहीं कि गई थी, अतः वादपत्र अदम तकमील में खारिज किया जाना विधि संगत होगा।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण/अधिवक्ता वादीगण द्वारा भलीभांति संज्ञान के बावजूद मृतक प्रतिवादी बालू पुत्र गोपू एवं प्रतिवादी चौला पुत्र गोपू का आज दिनांक तक कायम मुकाम बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करनें, मृतक मूला व मंगला के वारिसान जिन्हे प्रतिवादी निगराकार मोति वल्द रावत एवं जगदीश वल्द रावत द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी में बतौर शीर्षक पक्षकार संयोजित करनें लेकिन इनके वारिसान को रेकर्ड पर लेनें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में वादीगण/अधिवक्ता वादीगण द्वारा इस बाबत् कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करनें तथा इस बाबत् [illegible] कोई आदेश पारित नहीं होनें, मृतक प्रतिवादी भंवरू व पुखा [illegible] दिनांक के सम्बन्ध में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा कोई अंकन [illegible] विलम्ब काल जिसे माफ करवानें के लिये प्रार्थना[illegible] एवं दिनांक का अंकन नहीं करनें, विलम्ब काल के लिये कोई पर्याप्त, [illegible]सनीय एवं युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं करनें, वादी संख्या खेमचन्द की मृत्यु पश्चात् कायम मुकाम बाबत् अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा सूचना देनें एवं न्यायालय हाजा द्वारा अधिवक्ता वादीगण को इस बाबत् निर्देशित किये जानें, अन्य वादीगण मृतक वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खेमचन्द के भाई, बहन व माता जैसे रक्त सम्बन्धी पारिवारिक सदस्य होनें एवं हस्तगत वादपत्र न्यायालय हाजा में विचाराधीन होनें तथा वादी की मृत्यु के सम्बन्ध में भलीभांति संज्ञान होनें के बावजूद तीन वर्ष के दीर्घ विलम्ब पश्चात् कायम मुकाम बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें एवं उपर्युक्त दीर्घ विलम्ब बाबत् कोई युक्तियुक्त, समुचित, पर्याप्त एवं विश्वसनीय कारण प्रस्तुत नहीं करनें, मृतक वादी खेमचन्द की मृत्यु उपरांत मृतक की विधवा के पीहर चले जानें, बीमार रहनें जैसे कारण विश्वसनीय एवं युक्तियुक्त नहीं होनें के कारण एवं उपर्युक्त समस्त घटनाक्रम के दौरान वादीगण/अधिवक्ता वादीगण द्वारा समुचित सजगता एवं पर्याप्त सावधान का परिचय देनें के स्थान पर घोर लापरवाही एवं उदासीनता प्रकट करनें के साथ साथ न्यायालय का किमती वक्त बेवजह जाया किया है, जबकि वादपत्र के सम्यक् एवं यथा समय संचालन का प्रथम कर्तव्य वादीगण का होता है, अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण/वादीगण को धारा 05, परिसीमा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत विलम्ब काल को माफ किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित नहीं होगा। अतः प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थनापत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा। विलम्ब काल माफ नहीं होनें से वादीगण/प्रार्थीगण के हस्तगत कायम मुकाम बाबत् प्रार्थनापत्र दिनांक 08.10.2014 व दिनांक 03.12.2020 विहित परिसीमा अवधि परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसुची के भाग एक– विनिर्दिष्टि मामलों में आवेदन में किसी मृतक वादी एवं अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन पक्षकार बनाने के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें की परिसीमा यथास्थिति वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन से बाधित होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाना, साथ ही इसके फल स्वरूप चुंकि वादीगण का वादपत्र कानूनन उपशमित(अबेटमेन्ट) हो चुका होनें, तथा वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के निर्देशों की जानबुझकर अदम तकमील करनें से वाद वादीगण जरिये अबेटमेन्ट एवं अदम तकमील में खारिज किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 दिनांक 08.10.2014 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 दिनांक 03.12.2020 भलीभांति [illegible] सारहीन होने, प्रार्थनापत्र परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसुची के भाग एक– विनिर्दिष्टि मामलों में आवेदन में किसी मृतक वादी एवं अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन पक्षकार बनाने के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें की विहित परिसीमा यथास्थिति वादी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:34:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन से बाधित होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, साथ ही इसके फलस्वरूप वादीगण का वादपत्र कानूनन उपशमित(अबेटमेन्ट) हो चुका होनें तथा वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के निर्देशों की जानबुझकर अदम तकमील करनें से वाद वादीगण जरिये अबेटमेन्ट एवं अदम तकमील में खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर, संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 18/08/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:25 IST
Reason: SelfAttested